सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 172 दिनांक : 24–8–2017

''ट्रेड लाइसेंस कैम्प का आयोजन''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि एनडीएमसी के सहयोग से तथा अपमा के अथक प्रयास से 3 जुलाई से लेकर 19 अगस्त 2017 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु अपमा कार्यालय में कैम्प का आयोजन किया गया था। लेकिन प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अभी तक कुल 700 व्यापारियों ने ही ट्रेड लाईसेंस बनवाये हेतु अपने दस्तावेज जमा करवायें है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25–8–2017 से लेकर 10 सितम्बर 2017 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन अपमा कार्यालय मे पुनः किया जा रहा है।

अतः जिन व्यापारी भाईयों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु आवेदन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द कैम्प में आकर अपने दस्तावेज जमा करवा दे। अन्यथा ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर एनडीएमसी द्वारा दुकानों के चालान किये जा सकते है तथा इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं।

कृपया ध्यान दें – जिन व्यापारी भाईयों ने ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु अपने दस्तावेज जमा करवा दिये थे उन सबकी रसीदें बनकर अपमा कार्यालय में आ गई है। इसलिए रसीद की प्राप्ति हेतु ट्रेड लाइसेंस के लिए श्री अनिल यादव जी के मोबाइल नंबरः 9718854405 पर सम्पर्क कर उनसे अपनी रसीद प्राप्त कर लें।

(उमेश सेठ)
सचिव